2022/263

PV

24-7-24

P.D. अप्राप्त प्राप्त

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
53 दावा	6/22	5/1/22	20/11/24 निर्णित	18/7/24 11/9/24 01/10/24 17/10/24 13/11/24 20/11/24 निर्णय

अनवान

श्री छीतरलाल S/o भागीरथ गुर्जर

निवासी आरोली

श्री आलोली D/o रेखा w/o प्रभुलाल गुर्जर

निवासी केरखेड़ा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

निर्मल कुमार जोशी

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

छीतरलाल **बनाम** अलोसी

नम्बर 6 सन **2022**

किस्म मुकदमा 53

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/1/2022	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 30/3/2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
30.3.22	प... [illegible] उप... [illegible] दिनांक 21.4.22 [illegible] तलबी [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी	
21.4.22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। प्रतिवादीगण सं. 1, 3 से 6 तक की कार [illegible] तामील प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण सं. 2 की अदम तामील प्राप्त हुई जिसमें ~~[illegible]~~ प्रतिवादी सं. 2 फौत होना जाहिर किया। वकीलवादी ने प्रतिवादी सं. 2 ~~[illegible]~~ के कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। बार-बार आवाज दिलायी गयी प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5 गैर हाजिर अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते हैं। प्रतिवादी सं 6 का आपत्ति में जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि 5.5.22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/5/22	पत्रावली पेश हुई अभिवक्ता वादी उपस्थित पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 12/5/22 को पेश हो।	
12/05/2022	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 18/05/22 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
18/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित पत्रावली मे साक्ष्यवादी मे PW-1 छीतरलाल गुर्जर के बयान लिए गये/ जो शामिल पत्रावली है/ वकीलवादी साक्ष्यवादी मे और गवाह पेश नही करना चाहते है। अतः साक्ष्यवादी बन्द की जाती है/ पत्रावली वास्ते बहस दिं 20/7/22 को पेश हो।	
20/7/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 27.7.22 को वास्ते बहस पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
27/7/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 2.8.22 को वास्ते बहस पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

हुक्म	
18/7/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते PO पालना आगामी दिनांक 11/9/24 को पेश हो।
11/9/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में तहसीलदार बिजौलिया से PO प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 01/10/24 को पेश हो।
1/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रावली दिनांक 17/10/24 को वास्ते बहस (PO) पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
17-10-24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 13-11-24 को वास्ते बहस (PO) पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
13/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस (PO) आगामी दिनांक 20/11/24 को पेश हो। पत्रावली में अभिभाषक ने स्टाम्प पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। PO पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते (PO) आगामी दिनांक 20/11/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
20/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में स्टाम्प पेश हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली में डिक्री मुर्तिब की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ **(RAS)**

वादपत्र संख्या **06 / 2022** दायर तारीख 05 / 01 / 2022

अनवान

01. छीतरलाल पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी आरोली तहसील बिजौलियां
02. जमनी पत्नि भागीरथ जाति गुर्जर निवासी आरोली तहसील बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
..........वादीगण

बनाम

01. अलोली पुत्री सेवा पत्नि प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया
02. उंकार पुत्र सेवा जाति गुर्जर निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया
03. धन्ना पुत्र सेवा जाति गुर्जर निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया
04. बद्री पुत्र सेवा जाति गुर्जर निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया
05. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाख सलावटिया तहसील बिजौलियां
06. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

..........प्रतिवादी

उपस्थित :– श्री निर्मल कुमार जोशी– अधिवक्ता वादीगण
– एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 20 / 11 / 2024

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र
अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बाद नियमित सुनवाई दिनांक 02/08/2022 को
प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि **ग्राम आरोली** पटवार हल्का **आरोली के खाता संख्या**
101 में अंकित खसरा नम्बर 549 क्षेत्रफल 0.2833 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550 क्षेत्रफल 0.1295 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 552 क्षेत्रफल 0.243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 572 क्षेत्रफल 0.3076 हैक्टेयर, खसरा नम्बर
573 क्षेत्रफल 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574 क्षेत्रफल 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589 क्षेत्रफल
0.3237 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 590 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 938 क्षेत्रफल 0.2590
हैक्टेयर, कुल खसरा 09 क्षेत्रफल 1.5297 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2 का पृथक से
विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जावें। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन
प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने
पत्रांक/राजस्व/2024/1415 दिनांक 05/09/2024 से प्राथमिक डिकी की पालना ,मौका पर्चा ,
नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार
है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

व जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर** वादीगण की यार करना भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं।

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी यम **अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान म राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01. छीतरलाल पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा. देह खातेदार रहन –बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सलावटिया 02. जमनी पत्नि भागीरथ हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा. देह खातेदार	आरोली	589 590 572/1 573/1 574/1 938/1	0.3237 0.1133 0.1440 0.0420 0.0123 0.1295
योग		**खसरा 06**	**0.7648**
01. अलोली पुत्री सेवा हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा. देह खातेदार 02. उंकार पुत्र सेवा हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा. देह खातेदार 03. धन्ना पुत्र सेवा हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा. देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सलावटिया 04. बद्री पुत्र सेवा हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा. देह खातेदार	आरोली	**549** **550** **552** **572/2** **573/2** **574/2** **938/2**	0.2833 0.1295 0.0243 0.1636 0.0227 0.0120 0.1295
योग		**खसर 07**	**0.7649**

उक्तानुसार **अन्तिम डिक्री** जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

वादपत्र संख्या 06/2022 दायर तारीख 05/01/2022

अनवान

01. छीतरलाल पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी आरोली तहसील बिजौलियां
02. जमनी पत्नि भागीरथ जाति गुर्जर निवासी आरोली तहसील बिजौलियां

..........डिक्रीदार

बनाम

01. अलोली पुत्री सेवा पत्नि प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया
02. उंकार पुत्र सेवा जाति गुर्जर निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया
03. धन्ना पुत्र सेवा जाति गुर्जर निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया
04. बद्री पुत्र सेवा जाति गुर्जर निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया
05. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाख सलावटिया तहसील बिजौलियां
06. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.........मदयून

उपस्थित :– श्री निर्मल कुमार जोशी– अधिवक्ता डिक्रीदार
– एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता मदयून

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 20/11/2024
डिक्री दिनांक : 20/11/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री निर्मल कुमार जोशी को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली के राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री मूर्तिब हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

क्र. सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	01. छीतरलाल पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा. देह खातेदार रहन –बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सलावटिया 02. जमनी पत्नि भागीरथ हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा. देह खातेदार	आरोली	589 590 572/1 573/1 574/1 938/1	0.3237 0.1133 0.1440 0.0420 0.0123 0.1295
	योग		**खसरा 06**	**0.7648**
02	01. अलोली पुत्री सेवा हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा. देह खातेदार 02. उंकार पुत्र सेवा हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा. देह खातेदार 03. धन्ना पुत्र सेवा हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा. देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सलावटिया 04. बद्री पुत्र सेवा हिस्सा 1/4 जाति गूजर सा. देह खातेदार	आरोली	**549** **550** **552** **572/2** **573/2** **574/2** **938/2**	0.2833 0.1295 0.0243 0.1636 0.0227 0.0120 0.1295
	योग		**खसर 07**	**0.7649**

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

नीज ....Nil................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 11 वर्ष 2024 को जारी किया गया।

नोट :– प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 20/11/2024 को मुर्तिब की गई।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

लगातार पेज संख्या 03 पर